न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-28/2015

भंवरलाल पुत्र लिछमणा जाति खाट निवासी मण्डवारा तहसील धोद जिला सीकर {राज0}

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- रामगोपाल पुत्र मंशाराम {जो अपने आपको मोतीराम का पुत्र बताता है}

2- रिछपाल पुत्र मंशाराम

3- मंशा पुत्र घीसा

समस्त जाति खाट निवासी मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर ।

4- सब रजिस्ट्रार सीकर वर्तमान धोद जिला जिला सीकर ।

5- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर ।

6- शेखावाटी ग्रामीण बैंक हर्ष जरिये शाखा प्रबन्धक ।

7- बैंक आफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक ।

8- गोपाल पुत्र जैसा जाति रैगर निवासी मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर ।

--रेस्पोंडेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 4-3-2015 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी, धोद ।

---0---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री सुरजभानसिंह एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक, हुकम इम्तनाई दवामी इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 438/278 रकबा 4.43 हैक्टर, ख0नं0 437/278 रकबा 5.10 हैक्टर, ख0नं0 436/278 रकबा 2.80 हैक्टर, ख0नं0 439/279 रकबा 0.68 हैक्टर, ख0नं0 440/279 रकबा 0.68 हैक्टर व ख0नं0 457/333 रकबा 0.39 हैक्टर, ख0नं0 458/333 रकबा 0.39 हैक्टर, ख0नं0 460/346 रकबा 0.31 हैक्टर, ख0नं0 459/346 रकबा 0.31 हैक्टर, ख0नं0 461/346 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0360 रकबा 0.33 हैक्टर, ख0नं0 277 रकबा 4.79 हैक्टर, ख0नं0 281 रकबा 0.12 हैक्टर व ख0नं0 335 रकबा 0.72 हैक्टर कुल किता- 14 जिसके पुराने खसरा नंम्बर 191, 194, 140, 212, 130 तथा नये सैटलमैन्ट में इनके खसरा नम्बर 281, 335, 360, 278, 279, 33 व346 पडे है जो इसके बाद संशोधित हुए हैं।व उक्त आराजी तन मण्डावरा तहसील सीकर में अवस्थित हैं जो वादी एवं प्रतिवादी सं0-। से 3 के खाते कब्जे काश्त की है ।जो पैतृक है ।उक्त आराजी में वादी का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या-। से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा है ।किन्तु प्रतिवादी संख्या-। से 3 ने राजस्व अधिकारियों से साज कर वादी के 1/4 हिस्से की बजाय 0.33 हैक्टर ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दी । जिसको राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त नहीं करवाने से वादी के हक अधिकारों पर गलत असर पडेंगा तथा गलत राजस्व रेकार्ड की आड में प्रतिवादी संख्या-। से 3 के मन में बेईमानी आ गई जो इस आराजी का हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अत दावा स्वीकार कर उक्त आराजी में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।योग्य अदालत मातहत ने वादी का दावा बाद सुनवाई डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने दिनांक 3-3-2015 को अपनी आदेशिका में एकतरफा बहस सुनने का उल्लेख किया है जबकि निर्णय में प्रतिवादी के अधिवक्ता सोमनाथ शर्मा का बहस के दौरान उपस्थित होने का उल्लेख किया है दिनांक 3-3-2015 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही भी नहीं की है। अदालत मातहत ने न्यायिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की । अदालत मातहत ने वादी के जिन दस्तावेजों पर विश्वास कर आदेश पारित किया है वो दस्तावेज दावा पेश होने के बाद तैयार किये हुये दस्तावेज है जो पोस्टलिडम की तारीफ में आते है। जिन पर अदालत मातहत ने विश्वास कर निर्णय दिये जाने में कानूनी भूल की है । इस वाद में मुख्य बिन्दू वादी किसका पुत्र है । यह वाद का मुख्य विषय है। ऐसी अवस्था में अधि--नस्थ न्यायालय को यह तनकी बनाई जानी चाहिये थी कि आया वादी मोती का जायन्दा पुत्र है अथवा मन्शा का और यह तनकी सिविल न्याया--लय के क्षेत्राधिकार की होने के कारण धारा- 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय को निर्णय हेतु प्रेषित करनी चाहिये थी। इसके बाद ही अन्य तनकीयों का निर्णय किया जाकर दावे का निर्णय किया जाना चाहिये था ।अदालत मातहत ने ऐसा ना कर कानूनी भूल की है ।प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज 30 साल पुराने जो लोक सेवक द्वारा द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किये है । जिन पर विश्वास नहीं करने का कारण नहीं था । इन दस्तावेजों को अदालत मातहत ने अप्रमाणि-त भी नहीं माना है । प्रतिवादी ने वादी के जायन्दा पिता का नाम मंशाराम बताया है ।मंशाराम ने प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें वादी का अपना जायन्दा पुत्र बता रखा है ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय तथ्यों के विपरित दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी ने अदालत मातहत में जबाब दावा पेश कर निवेदन किया था कि रेस्पोडेन्ट ने नजरा खानदान गलत पेश किया है ।मैने लिखित बहस पेश की है उसमें सही नजरा पेश किया है । अपीलान्ट ने यह भी बताया था कि गोविन्दा के मोतीराम दत्तक पुत्र था जिसकी छोटी उम्र में शादी करते ही मृत्यु हो गई।इसलिये उन्होने मंशा को रख लिया और भगवानी ने मंशाराम का चूड़ा पहन लिया । मोती से भगवानी के कोई सन्तान पैदा नहीं हुई बल्कि रामगोपा -ल व बाकी तीनों पुत्र मंशाराम के सहवास से पैदा हुए, इसलिए मंशाराम रामगोपाल का जायन्दा पिता है । स्कूल व अन्य समस्त सरकारी रेवन्यू रेकार्ड में शुरू से ही उसके पिता का नाम मंशाराम चला आ रहा है । प्रश्नगत भूमियो का तीनों प्रतिवादीगण में बंटवारा हो चुका है। अपने अपने हिस्से पर काबिज है और बाकी अपने पिता मंशाराम भूमियों पर काबिज है शेष भूमियो पर काबिज नहीं है ।वादी के जायन्दा पिता मंशाराम ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर में वाद उनवानी मंशा बनाम रिछपाल मुकदमा सं0-107/2004 प्रस्तुत कर रखा है । जिसमें उसे वादी को अपना पुत्र बतलाया है । वादी मोती का पुत्र नहीं होकर मंशाराम का जायन्दा पुत्र है । जिसका प्रतिवादी सं0-1 व 2 के नाम आई भूमियों में कब्जा काश्त नहीं है । इसलिए न्यायालय के क्षेत्राधिकारमें भी नहीं है। अदालत मातहत में प्रदर्श-1 से प्रदर्श-10 से एवं गवाहन रामगोपाल से जिरह पूर्ण नहीं हुई थी बल्कि उसके बयानों को डैफर किया गया था । ऐसा ही सिद्धान्त ए0आई0आर 2003 एनओसी पेज-141 में प्रतिपादित किया गया है । इस कारण रामगोपाल के बयानों का कोई

संख्या-34 दिनांक 16-5-1989 का उल्लेख किया है जो सक्षम अधिकारी के आदेश से ही नामान्तरकरण खोला गया है भली भांती साबित है ।किन्तु अदालत मातहत ने उक्त सहमति बंटवारा की अनदेखी की है । अपीलान्ट द्वारा अपनी खण्डन में प्रदर्श-ए। निर्वाचन नामावली 2007 भाग संख्या-155 प्रदर्श-2 मूल प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत एवं दसवीं की अंकतालिका जो दिनांक 30-6-1998 की थी जिसमें रामगोपाल की जन्म तिथि 1-8-69 लिखी हुई जिसमें भी रामगोपाल की वल्दियत में मंशाराम ही लिखा है । मोतीराम की मृत्यु सन् 1961 में ही हो गई थी ।इसलिये रामगोपाल मोती का जायन्दा पुत्र होन का कोई प्रश्न ही नहीं है । गोविन्दा की मृत्यु पर नामान्तरकरण सं0- 163 में खाता संख्या- 126/127 रकबा 11 बीघा 12 मंशा पुत्र गोविन्दा के नाम से भरा गया व उसी दिन दूसरा नामान्तरकरण सं0- 165 में खाता सं0- 126/127 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा मोती पुत्र गोविन्दा के नाम से भरा गया जो खाता संख्या-132 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा का नामान्तरकरण रामगोपाल पुत्र मोतीराम के नाम से भरा गया था ।उक्त विरोधाभाषी तथ्य अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद होते हुये भी अदालत मातहत ने तनकी संख्या-1 का निर्णय वादी के पक्ष में करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट के जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया है वो दस्तावेज सभी दावे के बाद के है जो पोस्टलिडम की तारीफ में आते है जिन पर योग्य अदालत मातहत ने विश्वास कर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। दावे का मुख्य बिन्दू था वादी किसका पुत्र है । अदालत मातहत को इस बाबत तनकी बनानी चाहिये थी और इस तनकी का निर्णय करने हेतु प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय को भिजवाते हुये इस तनकी का निर्णय होने के बाद ही दावे का अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने ऐसा न कर अपना निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया है ।अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज 30 साल पुराने है जो

-वास का कोई कारण ही नहीं है । अदालत मातहत ने इन दस्तावेजों को अमान्य भी नहीं किया है ।प्रतिवादी/~~रेस्पो०~~ अपीलान्ट ने वादी/रेस्पो० के पिता का नाम मंशाराम बताया है। इस बाबत मंशाराम नेअपीलान्ट के विरूद्ध एक दावा पेश कर रखा है जिसमें उसने वादी को अपना जायन्दा । पुत्र बताया है। इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गोर न कर अपना निर्णय दिया है । दिनांक 3-3-2015 के लिये पत्रावली बहस में नियत थी उस दिन प्रतिवादी हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाते हुये दूसरे ही दिन दिनांक 4-3-2015 को वादी की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित कर दिया ।रेस्पोडेन्ट संख्या-। मंशाराम का पुत्र है किन्तु सहवन मोतीराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या-165 उसके नाम से खुल गया जबकि विवादित आराजी मोतीराम के जीवन काल में ही आपसी सहमति से मौखिक पारिवारिक सैटलमेन्ट के जरिये बंटवारा कर रखा था । दिनांक 16-5-1989 को राजस्व कैम्प मण्डावरा में लक्ष्मण, घीसा, मंशा व गोपाल ने आपसी सहमति से पारिवारिक सैटलमेन्ट के अनुसार विधिवत बंटवारा कर लिया जिसके मुताबिक नामा०सं० -34 दिनांक 16-5-1989 के जरिये भूमियों की खातेदारी अलग अलग हो गई । यह सहमति से आदेश हुआ है जो एक डिक्री की श्रेणी में ही आता है। और आदेश-23 नियम 3(क) सीपीसी के तहत वाद वर्जित है ऐसा ही सिद्धान्त ए0आई0आर0 2010 पटना पेज-104, आरआरडी 1996 पेज-116 डब्लू0एल0सी0 2002(सुप्रिम कोर्ट) पेज-51 ए0आई0आर 2004 राज0 पेज-264 में भी प्रतिपादित किया गया है ।रेस्पोडेन्ट ने इन तथ्यों को छिपा कर तथा अदालत मातहत ने उक्त आज्ञापक कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर अपना निर्णय दिया है ।नामान्तरकरण सं0-34 से भूमियों का खाता अलग अलग हो गया । उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही दावे में उसने कोई कब्जे की सहायता चाही है कब्जे के अभाव में वादी/रेस्पोडेन्ट का दावा खारिज किया जाना चाहिये

पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि सजरा खानदान के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या-। रामगोपाल मोतीराम का पुत्र एवं गोविन्दा का पोता है । भगवानी रामगोपाल की माता ने माती राम के स्वर्गवास के 5 वर्ष पश्चात मंशाराम से पुर्नविवाह किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। का जन्म होने के 2 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट संख्या-। के पिता मोतीराम का देहान्त हुआ है।रेस्पोडेन्ट के दादा का देहान्त सन् 1958 में ही हो गया था । जिससे गोविन्दराम द्वारा छोडी गई सम्पूर्ण सम्पदा रेस्पोडेन्ट सं0-। के पिता मोतीराम को उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई । तथा मोतीराम के देहान्त के बाद मोतीराम की सम्पूर्ण सम्पदा रेस्पोडेन्ट की हुई ।रेस्पोडेन्ट संख्या-3 गोविन्दा का दत्तक पुत्र नहीं है ना ही मंशा को गोविन्दा ने गोद लिया है ।बल्कि गोविन्दा ने मोती को गोद लिया था । जिसे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-2 गोद लेना स्वीकार करते हैं । तथा गोविन्दा का स्वर्गवास मोती के स्वर्ग वास के पहले ही हो गया था जिस कारण गोविन्दा की सम्पति मोती को प्राप्त हुई जिसका नामान्तरकरण सं0-43 दिनांक 20-3-1960 को तस्दीक किया गया । जिसमें गोविन्दा के स्थान पर मोती के नाम उक्त आराजी दर्ज हुई है ।अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 ने आपस में साज कर करके रेस्पोडेन्ट सं0-। को उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति से वंचित करने के लिये गोविन्दा के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही कृषि भूमियों का नामान्तरकरण सं0-163 व 164 दिनांक 20-5-1975 को रेस्पोडेन्ट संख्या-3 को गोविन्दा का पुत्र बताकर नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया तथा राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज करवा लिया । परन्तु नामा0सं0-43 के द्वारा वर्ष 1960 में राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं0-। के पिता मोती के नाम दर्ज हो चुकी । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3

रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को बिना सूचना दिये, बिना किसी सक्षम सक्षम आदेश के राजस्व अभियान कैम्प मण्डावरा का अंकन करके नामान्तरकरण सं0-34 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के हिस्सा में वर्तमान खसरा नं0 360 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि को छोडकर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को उत्तराधिकार में प्राप्त गोविन्दा व ~~छछ~~ मोती से प्राप्त कृषि भूमि का खाता अपने नाम से बनवा लिया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या-1 की ना तो सहमति तथा ना ही उसकी उपस्थिति थी और ना ही इस प्रकार का कोई आदेश था । बल्कि बिना आदेश के नामा0सं0-34 स्वीकृत करवा लिया । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को मोती का पुत्र होना स्वीकार करके खसरा नं0 360 की 0.33 हैक्टर भूमि उसके पक्ष में दया दिखाकर छोडी थी। इसी दस्तावेज को अपीलान्ट ने आदेश-41 नियम-27 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया है । जिससे अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को मोती का पुत्र मान्य करने के अपने कथन से प्रतिबाधित है । सिविल न्यायालय में वाद संख्या-57/2010 बउनवानी बजरंगलाल बनाम रिछपाल में दिनांक 19-9-15 को ~~0000~~ रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को मोती का पुत्र होना निर्णित किया है । सिविल न्यायालय के उक्त आदेश में स्पष्ट किया है विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि सम्पति बिना उत्तराधिकार एक क्षण भी नहीं रहती है । मोतीराम फौत हुआ उसी वक्त तुरन्त ही उसकी पत्नी भगवानी देवी} जिसको पत्नी होना प्रतिवादी संख्या-1 रिछपाल भी मानता है} में व स्वर्गीय मोती के पुत्र रामगोपाल में मोतीराम की सम्पति उत्तराधिकार के रूप में समाहित हो गई ।इस प्रकार जब एक बार उत्तराधिकार में सम्पति मिल जाती है तो उन्हे विधि के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं । मात्र किसी का चूडा पहनने से या पुर्नविवाह करने से उस सम्पति में निर्हित हक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं ।तनकी संख्या-1 को साबित करने का भार वादी पर था । नामान्तरकरण सं0-34 स्वीकृत करवाने के समय ही अर्थात दिनांक 16-5-89 को अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को मोती का पुत्र स्वीकार कर लिया था । यह स्वीकारोक्ति सबसे बडी साक्ष्य है इससे बडी कोई साक्ष्य नहीं

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हो सकती ।सिविल न्यायालय ने भी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को मोती का पुत्र माना है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 गोविन्द राम के प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है ।गोविन्दराम का प्रथम श्रेणी का वारिस मोतीराम ही था । मोतीराम की पत्नी भगवानी व पुत्र रामगोपाल है । अपीलान्ट को तो गोविन्द राम की आराजी के बाबत अपील करने का ही कोई लोकस्टेण्डाई ही नहीं है । अपीलान्ट की अपील 00 सर्वप्रथम इसी बिन्दू पर खारिज की जानी चाहिये ।योग्य अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गोर करने के बाद तनकी संख्या-1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की है ।

बहस में आगे कथन किया कि अदालत मातहत में वादी/रेस्पोडेन्ट सं0 की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से गवाह (प्रतिवादी) भंवर लाल व गवाह गोपाल की साक्ष्य लेखबद्ध की गई । जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी 000 से जिरह पूर्ण करने के बाद ही प्रतिवादी की साक्ष्य में पत्रावली को नियत किया गया है ।इससे अपीलान्ट की यह आपत्ति स्वीकार नहीं है कि रामगोपाल की जिरह पूर्ण नहीं होने व बयानों को डैफर करने के कारण उनकी साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं । नामान्तरकरण संख्या-34 में ख0नं0 227 में से नाम हटाकर ख0नं0 360 पर गोपाल पुत्र मोती रकबा 0.33 हैक्टर रखा है । यह अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-2 व 3 की स्वीकारोक्ति है । इस नामान्तरकरण के समय न तो रेस्पोडेन्ट हाजिर रहा ना कोई सहमति है इस कारण यह नामा0 आदेश-23 नियम-3(क) सीपीसी के तहत समझौता की तारीफ में नहीं आता है । अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की वह गलत हैइस के तथ्यों से भिन्न है ।अब अपीलान्ट यह नहीं कह सकता की रेस्पोडेन्ट 00 सं0-1 मोती का पुत्र नहीं है । नामान्तरकरण सं0-34 रेस्पोडेन्ट की बिना जानकारी के तस्दीक किया गया है जो 000 रेस्पो0 के हक अधिकारो पर शून्य एवं प्रभावहीन है ।वैसे भी नामान्तरकरण एक फिसल प्रोसिडिंग है जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है इसके समर्थन में आरआरटी 2012(2) पेज-921(एच0सी0) एआईआर 2016(एस0सी) पेज-1433 में स्पष्ट किया है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के शैक्षणिक दस्तावेज, निर्वाचन नामावली में वल्दियत का जो बिन्दु उठाया है वह विरोधाभासी है ।अपीलान्ट

ने नामान्तरकरण सं0-34 में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को मोती का पुत्र माना है । तथा अपीलान्ट इस नामान्तरकरण अपनी सहमति का बताकर आपत्ति की है । सन् 1975 में रामगोपाल पुत्र मोती के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है ।अपीलान्ट अपने आपको ना तो गोविन्दा का उत्तराधिकारी बताकर आया है और ना ही मोती का ।अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई लोकस्टण्डाई ही नहीं है ना ही अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट xxx संख्या-1 की "जैविकता" पर अन्यथा कोई असर नही है और ना ही उक्त दस्तावेजों के आधार पर"रक्तता" को चुनौती दी जा सकती ।जिसके समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1981(1) एस0सी0सी0 पेज-560 में स्पष्ट किया है ।अपीलान्ट का यह तर्क मानने योग्य नहीं कि अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट संख्या-1 की वल्दियत की तनकी बनाकर निर्णय हेतु सिविल न्यायालय को भिजवानी चाहिये थी । यहां पर तो रेस्पोडेन्ट सं0-1 को मोती का पुत्र अपीलान्ट ने नामान्तरकरण सं0-34 में स्वीकार किया है इससे बडी कोई साक्ष्य नहीं हो सकती जिसके लिये अपीलान्ट बार बार कह रहे हैं कि सहमति के आधार पर नामान्तरकरण सं0-34 तस्दीक किया गया है । जबकि यह नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट की गैर मौजूदगी में तस्दीक किया गया है । किन्तु अपीलान्ट तो इसे सही मान रहे हैं अर्थात रामगोपाल को मोती का पुत्र स्वीकार किया है । अब इसकी अलग से तनकी बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट मृतक खातेदार गोविन्दा अथवा मोती का उत्तराधिकारी नहीं है, यह स्वीकृत तथ्य है ।अपीलान्ट को अपील लाने का ही अधिकार नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।बहस के समर्थन में कानूनी नजीर 2018 डीएनजे(एस0सी0) पेज-221, 2016 इण्डियन कानून (मद्रास उच्च न्यायालय) 2016 एआईआर(एस0सी0 पेज 1433, 2012(2) आरआरटी(एच0सी0) पेज 921, धारा-239 से 241 राज0 काश्तकारी अधिनियम, आरआरडी 1995 पेज -73(एस0सी0) आरआरडी 1977 पेज 306 व 457 पेश कर पुनः अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2062 से 2065 में ख0नं0 438/278, 439/279 457/333, 460/346 कुल किता-4 रकबा 5.81 हैक्टर की खातेदारी मनसा पुत्र गोविन्दा की खातेदारी में दर्ज है । ख0नं0 458/333, 459/346 कुल किता-2 रकबा 0.70 हैक्टर की खातेदारी रिछपाल पुत्र घीसा की खातेदारी में दर्ज है । प्रर्दश-2 में ख0नं0 360 रकबा 0.33 हैक्टर की खातेदारी गोपाल पुत्र मोती के नाम तथा ख0नं0 277, 281, 335, 436/278, 440/279, 461/346 कुल किता-6 रकबा 9.71 हैक्टर की खातेदारी भंवरलाल पुत्र लिछमण की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श-3 में ख0नं0 436/278 रकबा 5.10 हैक्टर रिछपाल पुत्र घीसा, मंशा पुत्र घीसा के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-4 नामान्तरकरण सं0-165 खातेदार मोती के फोत होने पर रामगोपल पुत्र मोती हि0 1/3 का दर्ज किया गया जो दिनांक 20-5-1975 को तस्दीक किया गया है । प्रदर्श-5 नामान्तरकरण सं0-164 गोविन्दा के फौत होने पर मंशा पुत्र गोविन्दा के नाम दर्ज हुआ । प्रदर्श-6 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-7 में ख0नं0 360 रकबा 0.33 हैक्टर गोपाल पुत्र मोती के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-8से 10 का अवलोकन किया गया विवादित भूमि अन्य खातेदारों के साथ रामगोपाल पुत्र मोती के नाम भी दर्ज है ।प्रदर्श-ए1 मतदाता सूची, प्रदर्श-ए2 ग्राम पचायत मण्डावरा का प्रमाण पत्र में गोपाल पुत्र मंशाराम दर्ज है ।बयान एवं जबाब ~~प्रा~~ दावा एवं बहस पर मनन किया गया । राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, परिवार कार्ड का अवलोकन किया गया ।

अदालत मातहत में तनकी संख्या-1 को साबित करने का भार वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 पर था । जिसमें विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का खाते--दार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 3 का नाम हजफ किया जावे ।राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 को मोतीराम का पुत्र दर्ज किया है तथा इसी क्रम में तहसीलदार सीकर ने दिनांक 25-7-2011 को मूल निवास प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें रामगोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र स्व0 मोतीराम के नाम से जारी

किया है । नामान्तरकरण सं0-34 में रेस्पोडेन्ट संख्या-। रामगोपाल पुत्र मोती दर्ज किया है जिसको अपीलान्ट सहमति से दर्ज किया जाना स्वीकार किया है । अर्थात अपीलान्ट यहां पर इस नामान्तरकरण पर अपनी सहमति दर्ज कर दी और इस सन्दर्भ में आदेश-23 नियम-3(क) के अनुसार सहमति के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं करने के सन्दर्भ में ए0आई0आर0 2010 पटना पेज-104 भी प्रस्तुत की है ।अर्थात नामान्तरकरण के इन्द्राज को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट की यह स्वीकृति हो गई। अब इसमें रामगोपाल की वल्दियत बिल्कुल स्पष्ट हो गई की रामगोपाल मोती का पुत्र है। इसके लिये अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि वल्दियत को निर्णित करने के लिये अलग से तनकी बनाकर सिविल न्यायालय में उस तनकी के निर्णय के लिए प्रकरण को भिजवाना चाहिये । यह कथन मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या-34 में रेस्पोडेन्ट सं0-। को मोती का पुत्र स्वीकार किया है ।नामान्तरकरण संख्या-165 दिनांक 20-5-75 को तस्दीक किया गया है जो रामगोपाल पुत्र मोती के नाम दर्ज है ।दूसरा बिन्दू सजरा0एवं खानदान के अनुसार बिरमा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-। से 3 का पूर्वज है जिसके दो पुत्र महाबक्सा व रामूराम हुये । रामूराम के घीसा तथा घीसा के मोती, मंशा व रिछपाल हुये। इसका कोई विवाद नहीं है।महाबक्सा के दो पुत्र गोविन्दा व लिछमण हुये जिसमें लिछमण के भंवरलाल हुआ इसका भी कोई विवाद नहीं है । गोविन्दा ने मोती को व गोद ले लिया । अपीलान्ट का यहां पर कहना है कि मोती राम नाऔलाद ही फौत हो गया उसके कोई औलाद नहीं हुई । रेस्पोडेन्ट सं0-। मंशाराम का पुत्र है जिसके लिये प्रदर्श-ए। व ए2 पेश किये । जबकि रेस्पोडेन्ट सं0-। का राजस्व रेकार्ड में गोपाल पुत्र मोती दर्ज है । और गोविन्दा के मोती गोद जाना राजस्व रेकार्ड से दर्ज है । जब मोती गोविन्दा के दत्तक पुत्र राजस्व रेकार्ड से साबित है तथा नामान्तरकरण संख्या-34 में अपीलान्ट की रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र मोती की स्वीकारोक्ति है तो विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या-। का 1/4 हिस्सा स्पष्ट है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में तनकी संख्या-का निर्णय वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-। के पक्ष में किया जिसमें हम

किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की उनके तथ्य भिन्न है ।प्रकरण पर चस्पा नहीं है ।तनकी संख्या-। का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

तनकी संख्या-2 आया वादी के पिता का नाम मंशाराम है तथा मोतीराम की वल्दियत से मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद भूमि से वादी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। लिहाजा वाद काबिले खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी/अपीलान्ट पर था ।इस तनकी को साबित करने के लिये प्रतिवादी/अपीलान्ट ने प्रदर्श-ए। मतदाता सूची एवं प्रदर्श-ए2 मूल निवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत एवं दसवीं की अंक तालिका जो दिनांक 30-6-1998 की थी जिसमें रामगोपाल की जन्म तिथि दिनांक 19-8-1969 दर्ज है । प्रमाण पत्रों एवं मतदाता सूची में रामगोपाल के पिता का नाम मंशाराम दर्ज है तथा रामगोपाल की जन्म तिथी 10-8-69 अंक तालिका में दर्ज है जबकि मोतीराम का देहान्त तो वर्ष 1961 में ही गया था । इस कारण रामगोपाल मोती का जायन्दा पुत्र नही है ।दूसरी तरफ राजस्व रेकार्ड मे रामगोपाल पुत्र मोतीराम दर्ज है जिसमे नामा0सं0-165 दिनांक 20-5-1975 को तस्दीक किया गया है ।तथा नामान्तरकरण सं0-34 जिसको अपीलान्ट सहमति से स्वीकार किया जाना दर्ज किया है ।इसका मतलब यह हुआ कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या-। को कम भूमि प्राप्त हो गई तो उसे मोती का पुत्र स्वीकार कर नामा0 सं0-34 को सहमति से मानते हुये उसको कहीं भी चैलेन्ज नहीं किया जा सकता, यह स्वीकार किया है जब अपीलान्ट ने यह स्वीकार कर ही लिया तो बल्दियत का विवाद नहीं होना चाहिये ।नामा0सं0-34 रेस्पोडेन्ट की मौजूदगी में भरा गया अथवा नहीं यह दूसरा बिन्दू है। मुख्य विवाद वल्दियत का है जिसे इस नामा0 के जरिये अपीलान्ट ने स्वीकार किया है ।तथा राजस्व रेकार्ड जो पहले से तैयार है उसमें भी रामगोपाल पुत्र मोती दर्ज है । इस तनकी का निर्णय भी अदालत मातहत ने प्रतिवादी के विरूद्व किया है जिसमें हम प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन करने के बाद कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । साथ ही इस बिन्दू को पुनः

उल्लेख करना उचित समझते हैं कि अपीलान्ट ने अपने द्वारा पेश लिखित बहस में भी अपने को ﴾भंवरलाल﴿ लिछमण का पुत्र होना दर्ज किया है । यही नहीं महाबख्शा का पुत्र गोविन्दा था जिसका दत्तक पुत्र मोती को दर्शाया है । तथा उसका पुत्र गोपाल रेस्पोडेन्ट/वादी है । ऐसी स्थिति में इस आराजी मे लिछमण के पुत्र भंवरलाल﴾अपीलान्ट﴿ द्वारा हिस्सा क्लेम किया गया है । जिसे उचित नहीं माना जा सकता । तर्क के लिये यदि यह मान भी लिया जावे कि रेस्पोडेन्ट रामगोपाल मंशा का पुत्र है तो भी मोती के देहान्त के बाद यह आराजी मोती की पत्नी भगवानी एवं उसके पुत्र रामगोपाल में ही निहित होगी, न कि अपीलान्ट भंवर में निहित हो होगी । इन तथ्यों के प्रकाश मे गोविन्दा दत्तक पिता मोती की आराजी में अपीलान्ट भंवरलाल का कोई हक होना नहीं पाया जाता है । अदालत मातहत ने तनकी संख्या-2 का निर्णय उचित एवं विधिक किया है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अत: उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी धोद का निर्णय एवं डिक्री दि० 4-3-2015 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.7.2018 को सुनाया गया ।

23/7/18

﴾भंवरलाल मेहरड़ा﴿
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर